सेवा में,

समस्त उपनिबन्धक,

उत्तर प्रदेश।

संख्या 2782/शि0का0लख0 / दिनांक 14-7-03

विषय- उपनिबन्धक कार्यालयों में प्रभावी नियन्त्रण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में प्रायः अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि उप निबन्धकों द्वारा अपने पदीय दायित्यों का निर्वहन सही ढंग से नही किया जा रहा है। ऐसे भी तथ्य संज्ञान में आये है कि सादी रसीदों पर उपनिबंधक व्दारा हस्ताक्षर कर दिये जाते है, जो निबन्धन लिपिकों द्वारा प्रतिदिन दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के समय प्रयोग में लाई जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रत्येक उप निबन्धक द्वारा एक निबन्धन लिपिक को पेशकार की उपाधि देते हुए उन्हीं के द्वारा दस्तावेजों की पेशी का कार्य तथा पक्षकारों से बयान लेने का कार्य सम्पादित कराया जाता है तथा उसी निबन्धन लिपिक से प्रलेख में अन्तरित सम्पत्तियों का मूल्यांकन भी कराया जाता है। उप निबन्धकों द्वारा औपचारिकता निभाते हुए प्रलेख पर हस्ताक्षर किये जाते है, जबकि यह सर्वविदित है कि उप निबन्धक कार्यालय में पेशकार कोई पद सृजित नहीं है।

लेखपत्रों का प्रस्तुतिकरण स्वीकार करना तथा उसमें अन्तरित सम्पत्ति की जॉच कर मालियत लगाना व पक्षकारों से बयान लिया जाना, लेखपत्रों पर पृष्ठांकन(Endorsement) एवं निशान अंगूठा लेने का सम्पूर्ण कार्य व जिम्मेदारी उप निबन्धक की ही होती है। इस संबंध में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा परिपत्र संख्या 2982/ शि0का0लख0 दिनांक 2मई, 2001 को जारी किया जा चुका है, उसके बावजूद भी उक्त परिपत्र का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश के एक जनपद में मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी व्दारा एक उपनिबन्धक कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि निबन्धन लिपिक द्वारा जो रसीद जारी की जा रही है, उसमें सादी रसीदों पर पूर्व में ही उप निबन्धक व्दारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे। यह भी संज्ञान में आया है कि लेखपत्रों में अन्तरित सम्पत्ति की स्थलीय जाँच उपनिबन्धक द्वारा स्वयं न जा कर बल्कि निबन्धन लिपिकों से ही कराई जाती है तथा स्थलीय जॉच आख्या पर उप निबन्धक द्वारा हस्ताक्षर बना दिये जाते है ।

उप निबंधकों के इस अनुत्तरदायित्व कार्यशैली के परिणाम स्वरूप गंभीर अनियमितताएं घटित हो रही है। इस कृत्य से करापवंचन की भी संभावना रहती है तथा विभाग की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस प्रकार के तथ्य संज्ञान में आने से स्वतः स्पष्ट है कि जनपद स्तर पर तैनात उप / सहायक महानिरीक्षक निबन्धन / जिला निबन्धकों द्वारा भी

अपने पदीय दायित्यों के निर्वहन में पर्याप्त रूचि नही ली जा रही है, बल्कि उनके द्वारा भी औपचारिकता निभायी जा रही है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत समस्त उप निबन्धकों को स्पष्ट निर्देश दिये जाते है कि लेखपत्रों का प्रस्तुतीकरण उप निबन्धक द्वारा ही ग्रहण किया जायेगा, पक्षकारों से बयान लिये जाने का कार्य व पृष्ठांकन करने का कार्य प्रलेख में अन्तरित सम्पत्ति का मूल्यांकन परीक्षण व स्थलीय जॉच का कार्य उप निबन्धक स्वयं करेगे। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन उप निबन्धकों द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है अथवा नहीं इसका मूल्यांकन समय-समय पर जनपद में तैनात उप/ सहायक महानिरीक्षक/ जिला निबन्धकों द्वारा सुनश्चित किया जायेगा तथा समग्र तथ्यों / निर्देशों से भिन्न स्थिति पाये जाने की स्थिति में निरीक्षणकर्ता अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें। समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण मुख्यालय / शिविर कार्यालय के अधिकारियों / अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी तथा निर्देशों के विपरीत स्थिति पाये जाने पर संबन्धित उप निबन्धक / निबन्धन लिपिक के विरूध्द कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा जनपद में तैनात नियंत्रण कर्ता अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह०/–

(प्रभास कुमार झा)

महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश - शिविर लखनऊ।

<u>कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ।</u>

संख्या 2782(1-4) /शि0का0लख0/03 दिनांक 14-7-03

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1- समस्त उप /सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश।
3- अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशासन) /प0क्षेत्र /विभागीय, मुख्यालय, इलाहाबाद / शिविर कार्यालय, लखनऊ।
4- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धनगण, मुख्यालय / शिविर कार्यालय ।

ह०/–

प्रभाष कुमार झा

(महानिरीक्षक निबन्धन)

उत्तर प्रदेश - शिविर लखनऊ।